जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन–सम्पर्क अनुभाग)
(प्रेस विज्ञप्ति)

लॉकडाउन के दौरान विद्युत वितरण निगमों ने उपभोक्ताओं को दी राहत

31 मई तक विद्युत विपत्र जमा कराए और डिस्कॉम द्वारा दी गई की छूट का लाभ उठाएं

जयपुर, 28 मई। प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों को देखते हुए विद्युत वितरण निगमों द्वारा लॉकडाउन के दौरान उपभोक्ताओं को विभिन्न तरह से राहत प्रदान की गई है। विद्युत वितरण निगमों द्वारा कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को राहत देने के साथ ही अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को भी विद्युत बिल जमा कराने पर छूट दी गई है, जो 31 मई तक प्रभावी रहेगी।

डिस्काम द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार समस्त श्रेणी के विद्युत उपभोक्ता डिस्कॉम द्वारा प्रदान की गई राहत का लाभ 31 मई, 2020 तक प्राप्त कर सकते है। इसके साथ ही डिस्कॉम के सभी उपखण्ड कार्यालय शनिवार 30 मई को भी कार्यालय समय में खुलेगें और उपभोक्ता अपने विद्युत विपत्र शनिवार को भी उपखण्ड कार्यालय में जमा करा सकते हैं।

विद्युत वितरण निगमों द्वारा उपभोक्ताओं को प्रदान की गई राहत

कृषि श्रेणीः–विद्युत वितरण निगमों द्वारा कृषि उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने हेतु माह मार्च, 2020 में जारी विद्युत बिलों सहित माह अप्रेल एवं मई 2020 में जारी हुए बिलों के भुगतान को 31 मई, 2020 तक स्थगित किया गया है इसके तहत 31 मई, 2020 तक बिलों में ब्याज एवं पेनल्टी की छूट होगी और 31 मई, 2020 तक बकाया उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद नही किये जायेंगे।

घरेलू श्रेणीः– घरेलू श्रेणी के 150 यूनिट तक उपभोग वाले उपभोक्ताओं के माह अप्रेल एवं मई 2020 में जारी हुए बिलों के भुगतान को 31 मई, 2020 तक स्थगित किया गया है इसके अनुसार 31 मई, 2020 तक बिलों में ब्याज एवं पेनल्टी की छूट होगी एवं साथ ही 31 मई, 2020 तक बकाया उपभोक्ताओं के विद्युत संबंध विच्छेद नही किये जायेंगे।

बिलों के भुगतान पर छूटः– कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा 31 मई, 2020 तक विद्युत बिलों की राशि का भुगतान करने पर जमा राशि की 5 प्रतिशत छूट आगामी माह में दी जावेगी एवं इसके साथ अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं (कृषि एवं घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को छोड़कर) को 31 मई, 2020 तक बिल जमा करवाने पर जमा राशि की एक प्रतिशत छूट दी जावेगी।

डिस्कॉम द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं से अपील कि 31 मई, 2020 तक बिलों का भुगतान कर इस छूट का अधिकाधिक लाभ उठाये।

———————

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 976/2020